

प्रेम्क,

श्री. राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, सुन्दरगढ़ केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च, 2002

विषय:- श्री. कृ. राम राय पब्लिक स्कूल कुम्हवागढ़ को सी.पी.सी.सी.ई.सी.ई. से संबन्धता हेतु उपाययुक्त प्रस्ताव पर दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कलौ का निदेश हुआ है कि श्री. कृ. राम राय पब्लिक स्कूल कुम्हवागढ़ को सी.पी.सी.सी.ई.सी.ई. से संबन्धता हेतु उपाययुक्त प्रस्ताव पर दिये जाने से अब राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन उपाययुक्त नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तैसायटी का समय-समय पर तवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रकथ तमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितनी अनुदान की योग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0 मा0 शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 159 संस्था के लिए एवं विशेषतः कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त किए गए संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से काय वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चशिक्षणियों के कर्मचारियों के अनुमत्य वेतानिश्चिति का भाग उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तन्मा-तन्मा पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तन्मा यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की पुष्ट या क्षिप्रता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महतीय,

। राम कुमार ।
विशेष सचिव ।

पुं०-579811/15-7-व्य.दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ट्रेकिंग:

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- महतीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विभाग, निरीक्षण, मुम्बईनगर ।
- 4- उच्च शिक्षा विभाग, उच्च, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, मुम्बईनगर ।
- 6- बाकी पुस्त ।

आज्ञा है,

। अशोक चन्द्र मुख्त ।
उच्च सचिव ।